

कार्यालय

आयकर आयुक्त,
रेलवे बोर्ड भवन, शिमला।

दिनांक : 16-8-2007.

सेवा में,

मै० मानव कल्याण सेवा समिति,
गांव कराई, डा० व त० चौपाल,
ज़िला शिमला (हि० प्र०).

कृपया अपने धारा 80छ(5) में approval हेतु दायर आवेदन का अवलोकन करें।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5)) (1961 की 43) उक्त धारा में निहित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन मै० मानव कल्याण सेवा समिति, गांव कराई, डा० व त० चौपाल, ज़िला शिमला (हि० प्र०) को दिया गया दान दानकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ (2)(a)(iv) के अर्न्तगत कर में छूट प्राप्त करने योग्य होगा।

3. यह अनुमोदन धारा 80छ (5)(vi) के तहत दिनांक 1-4-2007 से 31-3-2010 की अवधि (निर्धारण वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11) के लिए वैध है।


(अखिलेश रंजन)
आयकर आयुक्त,
शिमला, हि.प्र.।

नोट :

1. दान कर्ताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र उपरोक्त अवधि के लिए वैध है।
2. संपरीक्षा रिपोर्ट, आय एवं व्यय व्यौरा, प्राप्ति एवं भुगतान व्यौरा और तुलन पत्र इत्यादि आयकर विवरणी समेत प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 में निहित अवधि के अन्दर आयकर अधिकारी, वार्ड-3, शिमला को भेजा जाए।
3. यदि संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो इस कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जाए।
4. भविष्य में छूट में नवीकरण वांछित हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी के माध्यम से या सीधा ही जरूरी दस्तावेजों, नियम 11AA(1) व(2) में अपेक्षित दस्तावेजों, सहित इस कार्यालय को आवेदन करें।

प्रतिलिपि प्रेषित है :

1. आवेदक को (पंजीकृत डाक द्वारा)।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-3, शिमला को। वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आवेदक/ निर्धारिती धारा 80 छ में दी गई शर्तों एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पालन कर रहा है या नहीं।
3. आयकर अपर आयुक्त, शिमला रेंज, शिमला को सूचनार्थ।
4. आयकर मुख्य आयुक्त, हि. प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ।
5. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिल्ली को सूचनार्थ।


(आर० सी० बेक्टा)

आयकर उप-आयुक्त (मुख्या.) तकनी.,
शिमला, हि.प्र.।